

Certificate No. - 2025/2018/0004

Certified Date : 02/06/2025

**Department of School Education & Literacy**

**Goverment of Jharkhand**

*Under Section 18 of Right to Education Act 2009*

Certificate of Recognition

is being awarded to

**NEW WISDOM ACADEMY of Purbi singhbum District w.e.f 02/06/2025**

Sig.

District Superintendent of Education  
Purbi singhbum

Sig.

District Committee  
Purbi singhbum

This certificate is online generated from <https://rte.jharkhand.gov.in> and does not require signature.

प्रमाण पत्र संख्या - 2025/2018/0004

प्रमाणित दिनांक - 02/06/2025

**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**

**झारखण्ड सरकार**

**शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ के अनुच्छेद १८ के तहत  
मान्यता का प्रमाण पत्र**

से सम्मानित किया जा रहा है

**NEW WISDOM ACADEMY of Purbi singhbum जिला प्रभावी तिथि 02/06/2025**

₹./-

जिला शिक्षा अधीक्षक

Purbi singhbum

₹./-

उपायुक्त

Purbi singhbum

यह कंप्यूटर जनित प्रमाण पत्र <https://rte.jharkhand.gov.in> से निकाला गया है एवं हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

## Condition of Recognition

Recognition of this School is granted under provision specified in section 18 of The Right of Children to Free and compulsory Education Act, 2009 & Jharkhand Right of Children to Free and compulsory Education Rules 2011 , provided that the school will ensure that the provisions given in The Right of Children to Free and compulsory Education Act, 2009, Jharkhand Right of Children to Free and compulsory Education Rules 2011, Department notification no. 629 dated 25.04.2019 and other directions issued from time to time by the department are strictly adhered to.

### मान्यता की शर्त

इस स्कूल की मान्यता नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 में निर्दिष्ट प्रावधान के तहत दी गई है और झारखंड नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा नियम 2011 के लिए बच्चों का अधिकार है, बशर्ते कि स्कूल यह सुनिश्चित करेगा कि प्रावधानों में दिए गए प्रावधान नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, झारखंड बच्चों का नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा नियम 2011, विभाग की अधिसूचना संख्या 629 दिनांक 25.04.2019 और विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाता है ।